

राजस्थान सरकार
विधि (गुप-2) विभाग

क्रमांक : प.8(7)विधि-2/विरसं.(39)/2002 पार्ट II/327

जयपुर, दिनांक : 28/10/22

आज्ञा

राज्य सरकार द्वारा माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंसानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 (बी) के अधीन जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश स्तर से सेवानिवृत्त या निवर्तमान अधिकारियों को ही पूर्णकालिक स्थाई लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर एक वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु मनोनयन किये जाने का अनुमोदन एतद्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (वरीयता के अनुसार) (सर्व श्री/श्रीमती)	स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद हेतु पदस्थापन स्थान	पदस्थापन प्रभाव में आने की तिथि
01.	अनिता शर्मा	अलवर	तत्काल
02.	शहाबुद्दीन	भीलवाड़ा	तत्काल
03.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	चित्तौड़गढ़	तत्काल
04.	अजय कुमार शर्मा पुत्र स्व. देवकी नन्दन शर्मा	दौसा	तत्काल
05.	उमाशंकर शर्मा	धौलपुर	तत्काल
06.	अनूप कुमार सक्सैना	जयपुर जिला	तत्काल
07.	रामेश्वर दयाल रोहिला	हनुमानगढ़	तत्काल
08.	नरसिंह दास व्यास	श्रीगंगानगर	तत्काल

आज्ञा से,

E-1-

(प्रवीर मटनागर)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण जरिये कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

Girijesh 28/10/2022

(गिरिजेश कुमार ओझा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि
(विधि रचना संगठन)